।।कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 5866 / 12-1, दिनांक, गोपेश्वर, जून 27 /2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषयः– **प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/19756/2016 लंगासू–निवाणी–खेत–सिलंगी मोटर मार्ग पर अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गौचर, के पत्र सं0 804/1सी(वन) दिनांक 21.03.2017 से उक्त मोटर मार्ग प्रस्ताव में लगायी गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्नानुसार की गई है।

बि. सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	डिजिटल मानचित्र में Starting Point and Ending Point स्थल का नाम अंकित किया जाय।	डिजिटल मानचित्र मेंs Starting point nd Ending Point स्थल का नाम अंकित कर दिया गया हे। **संलग्न–1** मानचित्र (मूल कापी का पेज न0 13)
2.	भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 200 मी0 पर Latitude & Longitude अंकित किया जाय।	भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 200 मी0 पर Latitude & Longitude दर्शा कर Part I के बिन्दु सं0 C(iv) में आनलाईन अपलोड कर दिया गया है। **संलग्नक–2** जीयोरिफिरेन्स मैप (मूल कापी का पेंज न0 13)
3.	डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण Latitude & Longtitude अंकित किया जय।	डिटिजल मानचित्र में वैकल्पिक संमरेखण Latitude & Longitud अंकित Part I के बिन्दु सं0 C(iii) में अपलोड कर दिया गया है। **संलग्न 3–** डिजिटल मैप (मूल कापी का पेज न0 12)
4.	मार्ग जहां से आरम्भ हो रहा है उससे पूर्व निर्मित मार्ग का नाम दर्शाया जाय एवं भारत सरकार की स्वीकृति संलग्न करें।	मार्ग एन0एच0 07 के किमी0 409 स्थान लंगासू से प्रारम्भ हो रहा है, जिसे मानचित्र में दर्शा गया है। **(मूल कापी का पेज न0 13)**
5.	प्रस्तावित मार्ग लंगासू–निवाणी–खेत–सिलंगी मोटर मार्ग के सम्बन्धित है जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रमाण पत्र जनपद चम्पावत में मिट्टीखाल से सुरई से सम्बन्धित भी लगाया गया है, अतः उक्त विरोधाभाष को सही कर प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम ग्राम–उमराकोट उर्फ बैडाणू में प्रस्तावित की गयी है। **संलग्न–4** क्षतिपूरक वृक्षारोपण सम्बन्धित प्रमाण पत्र (मूल कापी का पेज न0 63–64)
6.	वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी प्रमाण पत्रों को क्रमवार एक साथ संलग्न करें।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी प्रमाण पत्र को क्रमवार एक साथ संलग्न कर दिया गया है। **संलग्न–5** वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रमाण पत्र (मूल कापी का पेज नं0 33–41)
7.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र भारत सरकार के निर्देशानुसार जी0ओ0 रिफरेन्स मैप सहित .Shp File में DSS से मिलान कर संलग्न किया जाय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र .Shp file को DSS से मिलान कर दिया गया, जिसमें स्थल सी0ए0 हेतु उपयुक्त पाया गया। **संलग्न–6** .shp file CD
8.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग को प्रत्यावर्तन का उल्लेख किया गया है। जबकि प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग गौचर द्वारा पारित किया गया है। सही सूचना का उल्लेख किया जाय एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में स्थल का नाम अंकित कर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बनाकर संलग्न करें। योजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम भी अंकित किया जाय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में संशोधन कर निर्धारित दर के अनुसार व स्थल का नाम अंकित कर Additional information के क्रम 01 में अपलोड कर दिया गया है। **संलग्न–7** क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना (मूल कापी का पेज न0 59–60)
9.	परियोजना में बांज के वृक्ष प्रभावित होने के कारण वन	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।

	संरक्षक की स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न करें।	
10.	मकडिस्पोजल आरक्षित वन भूमि के स्थान पर अन्य भूमि पर प्रस्तावित किया जाय। मक डिस्पोजल मानचित्र जी0ओ0 रिफरेस्स मैप में बनाकर संलग्न करें।	मक डिस्पोजल स्क्रीम संशोधन कर न्यूनतम आरक्षित 0.050 है0 ली गई है। एवं मकडिस्पोजल मानचित्र जी0ओ0 रिफरेन्स मैप में बनाकर मूल कापी के पेज 13 में संलग्न कर दिया गया है। मकडिस्पोजल स्क्रीम Additional informationl क्रम सं0 4 में अपलोड कर दी गयी है। **संलग्न–8** मकडिस्पोजल स्क्रीम (मूल कापी का पेज न0 78–97)
11.	मक डिस्पोजल कौन सी भूमि में प्रस्तावित है, क्षेत्रफल सहित स्पष्ट उल्लेख किया जाय।	मक डिस्पोजल वन पंचायत भूमि में 0.100 है0 आरक्षित भूमि में 0.050 है0 प्रस्ताव के अनुसार कुल 0.0150 है0 लिया गया है तथा 0.100 है0 नाप भूमि में है।
12.	प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रीय पार्क का हिस्सा होने अथवा न होने तथा राष्ट्रीय पार्क से दूरी का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र संलग्न करें।	यह प्रमाण पत्र Additiional inforamtion के क्रम सं0 5 में अपलोड कर दिया गया है। **संलग्न–9** प्रमाण पत्र (मूल कापी का पेज न0 31)
13	मानचित्र में ग्राम सिंलगी को दर्शाते हुये वैकल्पिक समरेखण दर्शाया जाये तथा मानचित्र में अधिशासी अभियन्ता के मोहन सहित हस्ताक्षर भी अपेक्षित हैं	मानचित्र में ग्राम सिलंगी को दर्शाते हुये वैकल्पिक समरेखण दर्शा कर मूल कापी के पेज न0 13 पर मोहर सहित हस्ताक्षर उपरान्त संलग्न किया गया है।
14.	वृक्षों की सूची का भूमिवार सारांश बनाकर तथा वृक्षो के मूल्याकन सूची में वृक्षों का योग, परियोजना का नाम एवं प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	वृक्षो की सूची का भूमिवार संराश बनाकर एवं मूल्यांकन सूची में संशोधन कर Additional information के क्रम सं0 02 व 03 में अपलोड कर दिया गया हैं। **संलग्न– 10** वृक्षो एवं मूल्यांकन सूची (मूल कापी का पेज न0 26–29)
15.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले एस0आई0आर0 को संलग्न करें।	मूल कापी में संलग्न कर दिया गया है।
16.	प्रस्ताव में खुले प्रपत्रो को बाईडिंग कर संलग्न करें।	खुले प्रपत्रों को बाईडिंग कर संलग्न कर दिया गया है।
17.	प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–2 वन संरक्षक प्रपत्र भाग–3 भी संलग्न करें।	भाग–2 प्रपत्र मूल कापी के साथ संलग्न कर दिया गया है। प्रपत्र भाग–3 वन संरक्षक स्तर से दिया जाना है।

अतः आपको उपरोक्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी में इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आप अपने स्तर से प्रपत्र हार्ड कॉपी में संलग्न कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्दिरानगर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नकः– प्रस्ताव की हार्ड कापी।

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड विभाग, गौचर को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(एन०एन०पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।